

UPFR050143592019



Original Civil Suits/1500521/2019

har devi Vs. piriti

न्यायालय सिविल जज (सी०डि०), फर्रुखाबाद।

मूलवाद संख्या-521/2019

हरदेवी बनाम प्रीती शाक्य आदि

दिनांक: 05.04.2023

पत्रावली प्रस्तुत। बार-बार पुकार पर कोई उपस्थित नहीं। वादी द्वारा कोई स्थगन नहीं दिया गया है। वादी पूर्व विगत तिथियों से लगातार अनुपस्थित चल रहा है और न ही पैरवी कर रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि वादी की उक्त वाद में कोई अभिरुचि नहीं रह गयी है और न ही वाद चलाना चाहता है। ऐसी परिस्थिति में उक्त वाद वादी की अनुपस्थिति में खारिज किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

सिविल जज-सी०डि०,
फर्रुखाबाद।